

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 21 अक्टूबर 2020 — आश्विन 29, शक 1942

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-15/2020/38-2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 10202/विविध/171/2020/15011, दिनांक 02-09-2020, की अनुशंसा अनुसार, कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम-कोटनी, पलौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को, नीचे दी गई शर्तों के अनुसार, निम्नांकित नवीन शिक्षण कार्यक्रम पुरःस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान करता है:-

1. हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग

शर्तें :-

(क) पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों का संचालन एवं प्रवेश, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उप-धारा (4) के खण्ड (ड) एवं धारा 35 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों के लिये सुसंगत अध्यादेश जारी करने के पश्चात् ही, प्रारंभ किया जायेगा।

(ख) पूर्वोक्त संकायों/पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व, आवश्यकतानुसार, यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग), नई दिल्ली तथा अन्य केन्द्रीय विनियामक निकायों से पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 12 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 3-15/2020/38-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

Atal Nagar, the 12th October 2020

NOTIFICATION

No. F 3-15/2020/38-2.— In exercise of the powers conferred by proviso of sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005), the State Government; hereby approval to introduce the following new teaching programme as per the recommendation of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission vide its letter No. 10202/Vividh/171/2020/15011, dated 02-09-2020, grants permission to Kalinga University, Gram-Kotni, Palod, Tehsil-Arang, District-Raipur (Chhattisgarh), as per the conditions given here in below:-

1. Health & Allied Science/Paramedical/Nursing

Conditions:-

(A) Operations of and admission to the aforesaid faculties/courses shall commence only after relevant Ordinances for the aforesaid faculties/courses are issued in accordance with the provisions contained in clause (m) of sub-section (4) of Section 7 and Section 35 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005.

(B) It shall be mandatory to seek prior permission from UGC, New Delhi and other Central Regulatory Bodies, as per the requirement, before the commencement of the aforesaid faculties/courses.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DHANANJAY DEWANGAN, Secretary.